

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

मांक:- 'एफ.4(ई) (6)एपीओ/अलेसे-III/ 8462-8467 ' दिनांक :- 14/8/2013

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेश संख्या एफ.4(ई)(एपीओ)/अलेसे-III/ 8424-8431/दिनांक 13.8.2013 के द्वारा श्री रामनिवास देवरवाड़, कनिष्ठ लेखाकार का कोषालय, डूंगरपुर में किये गये पदस्थापन आदेश को निरस्त किया जाकर श्री देवरवाड़ का पदस्थापन कोषालय, करोली में किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति दिनांक 14.8.2013 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।



निदेशक

मांक:- एफ.4(ई) (1)(6)एपीओ/अलेसे-III/ 8462-8467

दिनांक :- 14/8/2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोषालय, करोली।
3. कोषाधिकारी, कोषालय, डूंगरपुर।
4. श्री रामनिवास देवरवाड़, क.लेखाकार को देकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति कोषालय, करोली में देवें।
5. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)